इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018—भाद्र 29, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए-3-30-2018-1-पांच-78.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन निम्नलिखित करदाताओं के वर्ग द्वारा संदत्त विलंब शुल्क का अधित्यजन करती है:—

(i) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में अक्टूबर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत की थी किन्तु आवेदन संदर्भ संख्यांक सृजन होने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी.

(ii) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-4 में अक्टूबर से दिसम्बर 2017 की अवधि के लिए नियत तारीख तक विवरणी फाइल की है किन्तु सामान्य पोर्टल पर गलती से विलंब शुल्क उद्गृहीत हुआ था.

(iii) ऐसे इनपुट सेवा वितरक जिन्होंने किसी कर अवधि जो 1 जनवरी, 2018 और 23 जनवरी, 2018 के मध्य थी, मध्यप्रदेश माल और सेवाकर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी फाइल करने या प्रस्तुत करने के लिए विलंब शुल्क संदत्त किया है.

2. यह अधिसूचना 04 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए-3-30-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-30-2018-1-पांच (78), दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2018

No. F A 3-30-2018-1-V (78).—In exercise of the powers, conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee paid under section 47 of the said Act, by the following classes of taxpayers:—

(i) the registered persons whose return in FORM GSTR-3B of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of October, 2017, was submitted but not filed on the common portal, after generation of the application reference number;

(ii) the Registered persons who have filed the return in FORM GSTR-4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 for the period October to December, 2017 by the due date but late fee was erroneously levied on the common portal;

(iii) the Input Service Distributors who have paid the late fee for filing or submission of the return in FORM GSTR-6 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 for any tax period between the 1st day of January, 2018 and the 23rd day of January, 2018.

2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 04th of September, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.